

शेनल

SENT BY E-MAIL

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

कमांक-114/एक-दो-01/07

सागर, दिनांक 19.11.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश कमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्री आशीष कुमार मथोरिया)	जिला मुख्यालय सागर	01. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 02. तहसील क्षेत्र बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।

नोट— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।


(महेश कुमार शर्मा) 19.11.2025
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 7065 (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:—

सागर दिनांक: 19.11.2025

01. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्री आशीष कुमार मथोरिया)।
 02. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्रीमती कंचन देव शिवहरे)।
 03. पंजीयन लिपिक, बण्डा।
 04. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बण्डा।
- की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

19.11.2025